न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 40/2016

दायर दिनांकः 18.11.2016

निर्णय दिनांक 29.12.2025

—: अनवान :—

राजेश जोशी पिता श्री पुरुषोतम जी जोशी जाति जोशी ब्राहम्ण आयु 45 वर्ष निवासी बामनटूंकडा तहसील व जिला राजसमन्द हाल निवासी 108 रेवेन्यु कॉलोनी दशहरा मैदान के पास इन्दौर मध्यप्रदेश

— निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत बामनटूंकडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बामनटूंकडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. सोहनलाल पिता श्री रामचन्द्र जी दवे जाति दवे ब्राहम्ण आयु 52 वर्ष निवासी बामनटूंकडा तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय मृतक प्रतिनिधि —
   2/1 पारी पत्नि स्वर्गीय सोहनलाल जी दवे आयु 50 वर्ष
   2/2 रमेश पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल जी दवे आयु 28 वर्ष
   2/3 सुनील पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल जी दवे आयु 26 वर्ष
   2/4 श्रीमती सीताबाई पत्नि स्वर्गीय रामचन्द्र जी दवे आयु 76 वर्ष

निवासीयान बामनटूंकडा तहसील व जिला राजसमंद

— गैर निगराकारगण

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1— श्री विक्रम कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री, अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— श्री सम्पत लाल लडढा, अप्रार्थी संख्या 02/01, 02/03
4— अप्रार्थी संख्या 02/02, 02/04 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बामनटुकड़ा में निगरानीकर्ता/प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद मकान अवस्थित है, जिसका मुख पश्चिम मुखी है तथा प्रार्थी के पुश्तेनी मकान की दक्षिण दिशा की ओर विपक्षी संख्या 2 का मकान अवस्थित है। उक्त दक्षिण दिशा की ओर 18'6'' फिट चौड़ा रास्ता था। विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 19.05.2003 को हरिशंकर पिता उदयराम जी ब्राह्मण से जरिये पंजीकृत विकय विलेख भूखण्ड खरीदा जिसके पंजीकृत विकय विलेख के अनुसार पड़ोस निम्न प्रकार है :– पूर्व :– वासुदेव जी जोशी का मकान, पश्चिम :– आम रास्ता, उत्तर :– आम रास्ता 18'6'' फिट चौडा, दक्षिण :– मोतीलाल जी जोशी का भूखण्ड। उक्त भूखण्ड पर मकान बनाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 20.07.2005 को बापोती मकान का पट्टा रा.प.अधिनियम 1956 के 7 नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी कर दिया गया, जिसका विवरण निम्न है :– उत्तर :– वासुदेव जी जोशी का मकान नाप 66 फिट, दक्षिण :– रास्ता नाप 70'9'' फिट, पूर्व :– मोतीलालजी जोशी का बाड़ा नाप 32'6'' फिट, पश्चिम :– मैन रोड़ 23'8'' फिट। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को बापोती मकान का पट्टा विक्रय पत्र में उल्लेखित सीमाओं से परे जाकर तथा रास्ता 18'6'' फिट पर अतिक्रमण को उचित बताकर विधि विरूद्ध तरिके से तत्कालीन सचिव प्रेमसिंह व सरपंच जगदीश दवे ने मिलीभगत कर रास्ते की जमीन हडप करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या 1 ने उपरोक्त पट्टा अपने अधिकारों से परे जाकर तथ्य छिपाते हुए दिनांक 20.07.2005 को जारी कर दिया तथा निगरानीकर्ता के पुश्तेनी मकान के दक्षिण दिशा की ओर अवस्थिति 18'6'' रास्ते का अस्तित्व समाप्त कर दिया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20. 07.2005 को जारी बापोती मकान का पट्टा संख्या 1765 व इसे जारी करने हेतु प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.07.2005 अवैध एवं विधिविरूद्ध है व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत बिना विधिक जांच व प्रक्रिया अपनाये तथा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर 18'6'' फिट रास्ते को अस्तित्व विहिन करने के उद्देश्य से जारी किया जो अवैध एवं शून्य है। विपक्षी संख्या 2 सोहनलाल ने भूखण्ड कय करने के पश्चात वर्ष 2005 में विपक्षी संख्या 1 से पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत बपोती मकान बताते हुए दिनांक 20.07.2005 को विपक्षी संख्या 1 के तत्कालीन सचिव प्रेमसिंह व तत्कालीन सरपंच जगदीश दवे द्वारा मिथ्या कार्यवाही कर विक्रय विलेख में अंकित पडोसों को बदलते हुए एक कूटरचित पट्टा जारी कर दिया गया जबकि कानूनन उक्त धारा में वर्षों पुराने बपोती मकानों के सम्बन्ध में ही पट्टे जारी किये जा सकते है. फिर भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही किये भूखण्ड खरीदने के ढाई–तीन वर्ष में ही विक्रय पत्र के उत्तर में वर्णित 18'6'' रास्ते को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतिक्रमित कर अस्तित्व विहिन कर दिया व पट्टा विलेख में पडोसों को कूटरचित तरिके से बदल दिया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे का न तो पंजीयन करवाया गया, न ही आपत्ति पेश करने के प्रपत्र का किसी समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया, मौका पर्चा रिपोर्ट पर पटवारी हल्का बामनटुकडा व सचिव के हस्ताक्षर नही है तथा न ही निरिक्षण पत्र पर पटवारी या सचिव के हस्ताक्षर है। पटवार मण्डल बामनंटुकड़ा की कार्यालय रिपोर्ट भी अधुरी होकर दिनांक तथा बिना किसी क्षेत्रफल के हस्ताक्षर विहिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता बामनटुकड़ा का निवासी होकर काफी वर्षों से इन्दौर निवास करता है तथा गांव बामनटुकडा यदा–कदा ही आता है, अभी हाल ही में मई 2016 में विपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने तथा विवाद होने से निगरानीकर्ता को उक्त कूटरचित पट्टे की जानकारी हुई तो अविलम्ब दिनांक 06.06.2016 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु सूचना के आवेदन नहीं लेने पर निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा जरिये डाक दिनांक 08.06.2016 को सूचना के अधिकार का आवेदन सचिव बामनटुकडा को प्रेषित किया। जिसके सम्बन्ध में दस्तावेजात कूट रचित पट्टे एवं उससे संबंधित पत्रावली नही दिये जाने पर निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय अपीले सक्षम अधिकारिता में प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात दिनांक 20.10.2016 को उक्त पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली सचिव बामनटुकड़ा द्वारा डाक द्वारा इन्दौर के पते पर प्रेषित की गयी, जो निगरानीकर्ता/प्रार्थी को दिनांक 04.10.2016 को मिली, तत्पश्चात निगरानीकर्ता /प्रार्थी ने अविलम्ब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निगरानी याचिका तैयार करवायी जो पेश की जा रही है, विलम्ब के कण्डोन बाबत् धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत बामनटुकडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 1765/20.07.2005 एवं प्रस्ताव संख्या 2/20.07.2005 को खारीज फरमाया जाकर अस्तित्व विहिन रास्ते की पूर्ववतः स्थिति कायम कराये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत बामनटुकडा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीघर द्वारा उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी संख्या 02 की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 02/01 व 02/03 की ओर अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लडढा ने उपस्थिति दी तथा अप्रार्थी संख्या 02/02 व 02/04 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर निगरानी याचिका को अवधि मे शुमार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बामनटुकड़ा में निगरानीकर्ता/प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद मकान अवस्थित है, जिसका मुख पश्चिम मुखी है तथा प्रार्थी के पुश्तेनी मकान की दक्षिण दिशा की ओर विपक्षी संख्या 2 का मकान अवस्थित है। उक्त दक्षिण दिशा की ओर 18'6'' फिट चौड़ा रास्ता था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को बापोती मकान का पट्टा विक्रय पत्र में उल्लेखित सीमाओं से परे जाकर तथा रास्ता 18'6'' फिट पर अतिक्रमण को उचित बताकर विधि विरूद्ध तरिके से तत्कालीन सचिव व सरपंच ने मिलीभगत कर रास्ते की जमीन हडप करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या 1 ने उपरोक्त पट्टा अपने अधिकारों से परे जाकर तथ्य छिपाते हुए दिनांक 20.07.2005 को जारी कर दिया तथा निगरानीकर्ता के पुश्तेनी मकान के दक्षिण दिशा की ओर अवस्थिति 18'6'' रास्ते का अस्तित्व समाप्त कर दिया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.07.2005 को जारी बापोती मकान का पट्टा संख्या 1765 व इसे जारी करने हेतु प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.07.2005 अवैध एवं विधिविरूद्ध है व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत बिना विधिक जांच व प्रक्रिया अपनाये तथा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर 18'6'' फिट रास्ते को अस्तित्व विहिन करने के उद्देश्य से जारी किया जो अवैध एवं शून्य है। विपक्षी संख्या 2 सोहनलाल ने भूखण्ड कय करने के पश्चात वर्ष 2005 में विपक्षी संख्या 1 से पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत बपोती मकान बताते हुए दिनांक 20.07.2005 को विपक्षी संख्या 1 के तत्कालीन सचिव प्रेमसिंह व तत्कालीन सरपंच जगदीश दवे द्वारा मिथ्या कार्यवाही कर विक्रय विलेख में अंकित पडोसों को बदलते हुए एक कूटरचित पट्टा जारी कर दिया गया जबकि कानूनन उक्त धारा में वर्षों पुराने बपोती मकानों के सम्बन्ध में ही पट्टे जारी किये जा सकते है. फिर भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही किये भूखण्ड खरीदने के ढाई–तीन वर्ष में ही विक्रय पत्र के उत्तर में वर्णित 18'6'' रास्ते को अतिक्रमित कर अस्तित्व विहिन कर दिया व पट्टा विलेख में पडोसों को कूटरचित तरिके से बदल दिया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे का न तो पंजीयन करवाया गया, न ही आपत्ति पेश करने के प्रपत्र का किसी समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया, मौका पर्चा रिपोर्ट पर पटवारी हल्का बामनटुकडा व सचिव के हस्ताक्षर नही है तथा न ही निरिक्षण पत्र पर पटवारी या सचिव के हस्ताक्षर है। पटवार मण्डल बामनंटुकड़ा की कार्यालय रिपोर्ट भी अधुरी होकर दिनांक तथा बिना किसी क्षेत्रफल के हस्ताक्षर विहिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत बामनटुकडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 1765/20.07.2005 एवं प्रस्ताव संख्या 2/20.07.2005 को खारीज फरमाया जाकर अस्तित्व विहिन रास्ते की पूर्ववतः स्थिति कायम कराये जाने का आदेश प्रदान करें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार व विधिवत्त कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02/01 व 02/03 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि रास्ते की 18'6'' फिट पर अतिक्रमण को उचित बताकर ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध तरिके से रास्ते की जमीन हडप करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या 1 ने उपरोक्त पट्टा अपने अधिकारों से परे जाकर तथ्य छिपाते हुए दिनांक 20.07.2005 को जारी करा दिया। उक्त संबंध में प्रार्थी के पूर्वाधिकारी पुरषोतम जी ने भी सिविल न्यायालय मे वाद दायर किया था जिसे भी अस्वीकार कर खारिज किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए ही पट्टा जारी किया गया। इसमें निगराकार कही भी हक प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। आज्ञाओ की सूची में तीन आज्ञाए लिखी गई हैं। जिसमें की प्रथम दो आज्ञाओ में किसी भी प्रकार के दिनांक का अंकन नही किया गया हैं। सिर्फ अन्तीम आज्ञा में दिनांक 20.07.2005 का अंकन किया गया हैं। जो प्रार्थना पत्र पत्रावली संलग्न है उस पर दिनांक 15.03.2005 को प्रस्तुत किया जाना जाहिर हुआ हैं। इसमें जो अनापत्ती प्रमाण पत्र लगा है। उसमें भी किसी प्रकार का दिनांक का अंकन नही हैं। पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट दि गई हैं। उसमें भी दिनांक का अंकन नही किया गया हैं। आबादी भूमि के निरीक्षण पत्र पर भी दिनांक नही हैं। मौका पर्चा दिनांक 20.06.2005 को मुर्तित किया गया हैं। आपत्ती आमंत्रित करने का नोटिस भी दिनांक 20.06.2005 का होकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा एक पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें यह भूखण्ड श्री हरिशंकर पिता उदयराम जी द्वारा अप्रार्थी श्री सोहनलाल पिता रामलाल को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के विक्रय किया गया है। यह विक्रय पत्र वर्ष 2003 में निष्पादित किया गया था तथा अप्रार्थीगण को इसी भूखण्ड का पट्टा वर्ष 2005 में जारी किया गया हैं। इस विक्रय पत्र में यह स्पष्ट अंकन है कि एक प्लॉट बेचा जा रहा हैं। यानि की वर्ष 2003 में एक प्लॉट प्रार्थी को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के श्री हरिशंकर द्वारा विक्रय किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 02 ने इसी प्लॉट का पट्टा नियम 157 (1) के तहत उसे बपौती/पुश्तैनी मानते हुए जारी करवा दिया गया। जो कि विधि विरूद्ध है। खाली प्लॉट का पट्टा भी राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत नही दिया जा सकता हैं। राजस्थान पंचायतीराज

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुश्तैनी मकानो का पट्टा कब्जाधारी को दिया जाता हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने में भी कई विधिक अनियमितताए की हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बामनटुकडा द्वारा पुरी पत्रावली की कार्यवाही एक ही दिन में तैयार की गई हैं। क्योकि अधिकांश प्रपत्रो पर हस्ताक्षर नही हैं। अतः निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बामन टुकडा द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1765 दिनांक 20.07.2005 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत बामन टुकडा की मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत बामन टुकडा को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद